उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल

रिट याचिका (मैसर्स) संख्या 2175 वर्ष 2020

श्री चंद्रा कंस्ट्रक्शंस ...याचिकाकर्ता

बनाम्

गैरीसन इंजीनियर (परियोजना) सैन्य अभियंता सेवाएं देहरादून और अन्य ...उत्तरदाता

साथ

रिट याचिका (मैसर्स) संख्या 1831 वर्ष 2020

श्री चंद्रा कंस्ट्रक्शंस ...याचिकाकर्ता

बनाम्

गैरीसन इंजीनियर (परियोजना) सैन्य अभियंता सेवाएं देहरादून और अन्य ...उत्तरदाता

श्री सिद्धार्थ साह, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता,

श्री राकेश थपलियाल, सहायक सॉलिसिटर जनरल व सहायक श्री वी.के. कपूरवान, सीजीएससी, भारत संघ की ओर से,

श्री प्रदीप हेरिया, स्टैंडिंग काउंसिल, उत्तराखंड राज्य की ओर से।

माननीय शरद कुमार शर्मा, ज0

ये दो रिट याचिकाएं हैं, जिन्हें याचिकाकर्ता ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2. डब्ल्यूपीएमएस संख्या 2175 वर्ष 2020 में, याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका को प्राथमिकता दी है, जहां उन्होंने निविदा नोटिस पर सवाल उठाया है, जिसे 17 नवंबर 2020 को प्रकाशित किया गया था, जो उत्तरदाता संख्या 2 मुख्य अभियंता, बरेली रोड, सैन्य इंजीनियरिंग सर्विसिस द्वारा विभिन्न तथ्यात्मक मामलों पर जारी किया गया था, जिसका याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिकाओं में अभिवाक् किया गया है।

3. उपरोक्त दोनों रिट याचिकाओं के आंशिक रूप से तथ्य समान हैं। जहां तक यह याचिकाकर्ता की स्थिति से संबंधित है, जिसे याचिकाकर्ता कानूनी रूप से एक प्रोपराइटरशिप फर्म के रूप में प्राप्त करता है, जो सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं के साथ निर्माण कार्य में लगे होने का दावा करता है। यह एक स्वीकृत मामला है, जहां उत्तरदाताओं द्वारा आदेश दिनांकित 2 मार्च 2017 के द्वारा याचिकाकर्ता को आरआईएमसी, देहरादून को सुरक्षा दीवार प्रदान करने के काम को पूरा करने के लिए कार्य अनुबंध दिया गया था। निविदा सूचना और संविदा के निमन्त्रण के अनुसार, संविदा का कुल मूल्य 95,35,599.89/– रुपए आंकलित किया गया। संविदा की अनुबंधों और 2 मार्च 2017 को जारी कार्य आदेश के अनुसार, कार्य की शुरुआत 14 मार्च 2017 से शुरू की जानी थी और कार्य 8 दिसंबर 2017 तक पूरा किया जाना था।

4. इस स्तर पर, यह न्यायालय संविदा की शर्तों और शर्तों के प्रभाव के संबंध में कोई टिप्पणी करने के लिए थोड़ा विवश है कि क्या संविदा के सार के रूप में समय का कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, क्योंकि रिट याचिका के साथ याचिकाकर्ता को ज्ञात कारण से सम्पन्न संविदा को रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है।

5. इस स्थिति में, यह न्यायालय उन तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों पर विचार करने और रिकॉर्ड करने के लिए विवश होगा, जो पहले से ही रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों से अनुरोध और परिलक्षित होते हैं। स्वीकृतरूप से संविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार, और संविदा की सामान्य शर्त याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित की गई थी, जो परियोजना को नियंत्रित करने वाले आईएएफडब्लू 2249 के माध्यम से थी, जिसके लिए याचिकाकर्ता को 2 मार्च 2017 को कार्य आदेश दिया गया था।

6. याचिकाकर्ता ने तथ्यात्मक रूप से तर्क दिया है कि, चूंकि संबंधित साइट को उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता को समय के अन्दर नहीं सौंपा गया था, ताकि वह काम शुरू कर सके, और बार–बार अनुरोध के बावजूद 2 मार्च 2017 के कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार इसे पूरा कर सके, और निर्माण का नक्शा उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण, जिसे याचिकाकर्ता ने गैरीसन इंजीनियर (परियोजना), सैन्य इंजीनियरिंग सेवा, देहरादून से अनुरोध करके प्रदान करने की प्रार्थना की है। याचिकाकर्ता को सुरक्षा दीवार के स्थान को दिखाते हुए एक नक्शा प्रदान किया गया था, जो याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराया गया था, याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह केवल तभी था, जब गैरीसन इंजीनियर द्वारा 24 फरवरी 2018 के अपने पत्राचार के माध्यम से उन्हें स्केच प्रदान किया गया था, याचिकाकर्ता को काम की प्रकृति के बारे में अवगत कराया गया था, जिसे याचिकाकर्ता को 2 मार्च 2017 के कार्य आदेश के अनुसार पूरा करना था।

7. याचिकाकर्ता का कथन है कि 2 मार्च 2017 के कार्य आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसने संविदा के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारम्भ किया था जो विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, जो विभिन्न पारस्परिक घटनाओं के कारण उत्पन्न हुई थी, जो रिट याचिकाओं में वर्णित है, कार्य आदेश दिनांक 2 मार्च, 2017 की शर्तों के अनुसार प्रगति नहीं की जा सकी।

8. याचिकाकर्ता द्वारा अन्य विभिन्न आधार लिए गए हैं, जो कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण, ''राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज'' के कारण, जहां भारतीय सैन्य मेले की उक्त गतिविधि के कारण सुरक्षा दीवार की चल रही कार्य सेवाएं स्थापित की गई थीं। संशोधित स्थान योजना को बाद में कार्य के दर्शाए गए हिस्से के साथ याचिकाकर्ता के पास प्रस्तुत किया गया था, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा किया जाना था।

9. उत्तरदाता ने कार्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू की थी, जो याचिकाकर्ता द्वारा 2 मार्च 2017 के अनुबंध की शर्तों के तहत आयोजित की जा रही थी, और चूंकि कार्य प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था, इसलिए संविदा संख्या सीईबी/डीएनएन/16 वर्ष 2016–17, जो मुख्य अभियंता, सैन्य इंजीनियरिंग सेवाएं, बरेली जोन बरेली कैंट के सम्मेलन में विचाराधीन विषय वस्तु थी, जिसमें अन्य सैन्य अधिकारियों ने भाग लिया था, उक्त बैठक के विवरण के अनुसार यह कहा गया था कि हालांकि ठेकेदार ने काम करने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन ठेकेदार ने साथ ही कहा है कि वह काम शुरू करेगा और इसे दो महीने के भीतर पूरा करेगा और यह 18 जनवरी 2020 की उक्त समझ पर आधारित है, 8 फरवरी 2022 की बैठक के कार्यवृत्त में पैराग्राफ सं0 4 के माध्यम से एक नोट तैयार किया गया था, जहां मुख्य अभियन्ता, सेना इंजीनियरिंग सर्विसेज, अंतिम अवसर के साथ विचार विमर्श के पश्चात् याचिकाकर्ता को दो महीने की विस्तारित अवधि के भीतर काम पूरा करने के लिए एक अवसर दिया गया था, जैसा कि रिट याचिका संख्या 1831 वर्ष 2020 के विस्तार आदेश अनुलग्नक संख्या 6, (पृष्ठ 39) से स्पष्ट होगा।

10. वास्तव में, यदि विस्तार आदेश के उक्त खंड को ध्यान में रखा जाता है, तो इसका सरल पठन यह दर्शाता है कि यह एक अकेला विस्तार नहीं था, जो याचिकाकर्ता को काम पूरा करने के लिए दिया गया था, जो उसे 2 मार्च 2017 को सौंप दिया गया था, और जो अंतिम विस्तार तक अधूरा रहा, जिसे 9 फरवरी 2020 को उनके पक्ष में मंजूर किया गया था। वास्तव में, यदि उक्त विस्तार, जो 9 फरवरी 2020 के पत्र द्वारा प्रदान किया गया था, पर विचार किया जाता है, जिसका सुसंगत पैराग्राफ संख्या 4 निम्नलिखित है–

> 4. It is recognised that in view of the restrictions placed on the movement of goods, services and manpower on account of the lockdown situation prevailing overseas and in the country in terms of the guidelines issued by the MHA under the DM Act 2005 and the respective State and UT Governments, it may not be possible for the parties to the contract to fulfil contractual obligations. In respect of Public-private Partnership (PPP) concession contracts, a period of the contract may have become unremunerative. Therefore, after fulfilling due procedure and the contract wherever applicable, parties to may invoke FMC for all construction/works contracts, goods and services contracts and PPP contracts with Government Agencies and in such event, date for completion of contractual obligations which had to be completed on or after 20th February 2020 shall stand extended for a period not less than three months and not more than six months without imposition of any cost or penalty on the contractor/ concessionaire Concession period in PPP contracts ending on or after 20th February 2020 shall be extended by not less than three and not more than six months. The period of

> extension (between three and six months) may be decided based on the specific circumstances of the case and the period for which performance was affected by the *force majeure* events.

11. यह दर्शाता है कि कार्य का पूर्व विस्तार भी किया गया था, लेकिन फिर भी इसे पूरा नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर अपने पक्ष में 9 फरवरी 2020 के पत्र द्वारा दिए गए उक्त विस्तार की व्याख्या की है कि भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कोविड–19 महामारी की स्थिति के कारण, और निर्देश के अनुसार, जो 13 मई 2020 को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, खरीद नीति प्रभाग द्वारा जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया था, कि भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैराग्राफ नंबर 4 में निहित शर्तों को ध्यान में रखते हुए, यदि उस पर विचार किया जाता है, तो यह उक्त सरकारी आदेश दिनांकित 13 मई, 2020 की तारीख से दो महीने की अवधि के लिए संविदा के अनुसार काम पूरा करने के लिए समय प्रदान करता है।

12. विशेष रूप से, उन्होंने संदर्भ दिया है कि सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, जहां भी संविदा के पक्षकारों पर लागू हो, ''पीपी मोड'' के अन्तर्गत निर्माण कार्य और सेवा अनुबंधों के लिए लागू किया जा सकता है और 20 फरवरी 2020 को या उससे पहले अनुबंध दायित्वों को पूरा किया जा सकता है, जो बिना किसी लागत या जुर्माने के कम से कम तीन महीने और छह महीने से अधिक नहीं होगा।

13. वास्तव में, याचिकाकर्ता द्वारा खंड 4 को दी गई व्याख्या का उत्तर उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा खंड 5 की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करके दिया जा रहा है, जहां उक्त संचार, जिसमें प्रावधान है कि खंड 4 के तहत विचार किया गया विस्तार केवल उन संविदात्मक दायित्वों को प्रदान किया जाएगा, जो 19 फरवरी 2020 तक अधूरा रह गया। इसका अर्थ है, उसका कथन है कि खंड 4 के अनुसार, इसमें दिया गया विस्तार, खंड 5 के तहत बनाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि काम को पूरा करने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से निष्क्रियता 19 फरवरी 2020 को याचिकाकर्ता को दिए गए अंतिम विस्तार से स्थापित हुई थी, जो 13 मई 2020 को सरकार के नीतिगत निर्णय को लागू करने से बहुत पहले था, जिसमें विस्तार पर विचार किया गया था।

14. इसलिए, कार्य को पूरा करने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से निष्क्रियता का तथ्य अंतिम विस्तार द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे 19 फरवरी 2020 को दिया गया था। इसलिए, इस न्यायालय के मत में 13 मई 2020 को भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया आश्रय याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि उसकी ओर से निष्क्रियता उक्त सरकारी आदेश के खंड 5 के तहत प्रदान की गई अन्तिम तिथि से भी बहुत पहले था।

15. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यदि कार्य परियोजना पत्राचार, और विशेष रूप से, खंड 54 के निष्कर्ष पर विचार किया जाता है, तो यह उन शर्तों और परिस्थितियों को प्रदान करता है जिनके तहत अनुबंध को रद्द करने का अधिकार विशेष रूप से नियोक्ता की निर्णय लेने की प्रक्रिया के क्षेत्र में रखा गया था। खंड 54 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, जहां शर्त और अनुबंध की शर्तों के चूक की स्थिति में, अनुबंध को रद्द करने के प्रयोजनों के लिए नियोक्ता द्वारा खंड 54 को लागू किया जा सकता है, जिसे यहां लागू किया गया था, और याचिकाकर्ता के अनुबंध को अंततः 9 जून 2020 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिसे रिट याचिका संख्या 1831 वर्ष 2020 में चुनौती दी गई थी, जिसमें काम पूरा करने के लिए समय अवधि को छह महीने तक बढ़ाने के लिए परमादेश की रिट के लिए भी प्रार्थना की गई थी।

16. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कथन किया कि पत्राचार के अनुसार, जो उत्तरदाता द्वारा स्वयं किया गया था, यह दर्शाता है कि काम का बड़ा हिस्सा पूरा हो गया था, जो वास्तव में उत्तरदाता अधिवक्ता द्वारा अस्वीकार किया गया एक तथ्य है, जो रिट कथनों के आधार पर है, जिसमें उन्होंने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उनके नियोक्ता के साथ किए गए वार्तालाप के अनुसार, यह केवल 59 प्रतिशत कार्य था, जैसा कि 2 मार्च 2017 के कार्य आदेश के तहत याचिकाकर्ता को सौंपा गया था, जो पूरा हो गया था और काम का बड़ा हिस्सा अधूरा था।

17. उस घटना में, जहां काम को पूरा करने में चूक की जाती है, और जहां संविदा के लिए समय सार है, विशेष रूप से, जब यह सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए काम की प्रकृति से संबंधित है, काम के पूरा होने के 59 प्रतिशत के संबंध में याचिकाकर्ता का तर्क, जो विवादित तथ्य था, हमेशा तथ्यात्मक पहलुओं की सराहना की आवश्यकता होगी कि उत्तरदाताओं द्वारा किए गए काम का वास्तविक मूल्यांकन कैसे किया गया था, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा पूरा होने का दावा किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अन्यथा उत्तरदाता अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि पत्राचार के अनुसार, जिसे रिकॉर्ड पर रखा गया था, वास्तव में, चूंकि काम संतोषजनक नहीं था, इसलिए अनुबंध को रद्द करने के लिए अनुबंध की शर्तों के खंड 54 का आह्वान होता है, जो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नियोक्ता के पास आरक्षित विशेषाधिकार था, जिसने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है।

18. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कथन किया है कि, यदि रिट कथनों पर विचार किया जाता है, जिसमें उन्होंने 9 फरवरी 2020 के अंतिम विस्तार की व्याख्या की है, जिसे अन्यथा भारत सरकार के निर्देशों के आलोक में अप्रैल 2020 तक जारी रखा जाना था। मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई उक्त व्याख्या को तर्कहीनता की सीमा तक नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब याचिकाकर्ता ने उल्लिखित पूर्व विस्तारित अवधि के तहत काम पूरा नहीं

किया था, तो वह यह तर्क लेते हुए कि चूंकि कार्य अवधि बढ़ा दी गई है, सरकारी आदेश द्वारा किए गए बाद के विस्तार से पीछे नहीं हट सकता है, और यह भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के प्रवर्तन के कारण पूरा नहीं किया जा सका, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करने के लिए यह तर्क उपलब्ध नहीं है।

19. उत्तरदाता के अधिवक्ता ने कथन किया है कि यदि भारत सरकार के दिनांक 15 अप्रैल 2013 के पत्राचार संख्या–14–3/2020–डीएम–(आईए) को ध्यान में रखा जाता है, तो वास्तव में उत्तरदाता ने तर्क दिया था कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2)(1) के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय, और अध्यक्ष होने की क्षमता में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, जिसके अन्तर्गत 4 अप्रैल 2020 को दिशा–निर्देश जारी किए गए थे, और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की क्षमता में लॉकडाउन को लागू किया गया था, भारत सरकार द्वारा समेकित संशोधित दिशा–निर्देशों के साथ संलग्न उक्त निहितार्थ याचिकाकर्ता के मामले में उन कारणों से, जो पहले ही निस्तारित जा चुके थे, लागू नहीं होंगे।

20. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया है कि यदि उपरोक्त दिशा–निर्देशों, जो भारत सरकार द्वारा 15 अप्रैल, 2020 को जारी किए गए थे, को ध्यान में रखा जाता है, तो वास्तव में भारत सरकार, यह उन गतिविधियों के लिए समयावधि के विस्तार के प्रयोजनों के लिए था, जिन्हें लॉकडाउन लागू होने के कारण प्रभावी किया गया था। यदि इस पर विचार किया जाता है, तो यह कथन है कि भारत सरकार के दिनांक 15 अप्रैल 2020 के उक्त दिशा–निर्देशों के खंड 16 के अन्तर्गत, यह एक अपवाद है कि दिशा–निर्देशों के खंड 16 के अन्तर्गत सूचीबद्ध निर्माण गतिविधियों को कोविड–19 की स्थिति के कारण भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद संचालित करने की अनुमति जारी रखी जाएगी और खंड 16 के अन्तर्गत उक्त अपवाद में निर्माण गतिविधियों का अपवाद शामिल है, जैसा कि इसके उप–खंड (1) में शामिल है, जो निम्नलिखित है–

> **“16. Construction activities, listed as below, will be allowed to operate:**
> i. Construction of roads, irrigation projects, buildings and all kinds of industrial projects, including MSMEs, in rural areas, i.e., outside the limits of municipal corporations and municipalities; and all kinds of projects in industrial estates.
> ii. Construction of renewable energy projects.
> iii. Continuation of works in construction projects, within the limits of municipal corporations and municipalities, where workers are available on site and no workers are required to be brought in from outside (in situ construction).”

21. उत्तरदाताओं द्वारा जवाबी शपथपत्र में भारत सरकार की शर्तों के निहितार्थ के बारे में अपनाए गए रुख के अनुसार, खंड 16 के अन्तर्गत बनाए गए अपवाद के आधार पर कार्य

गतिविधियों को करने की अनुमति देना। वास्तव में, याचिकाकर्ता द्वारा इसके विपरीत जवाब में कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है, कि खंड 16 का क्या प्रभाव होगा, अब तक यह काम के पूरा होने से संबंधित है, जो अन्यथा 2 मार्च 2017 के कार्य आदेश के तहत 8 दिसंबर, 2017 तक पूरा होना था, जिसे अंतिम विस्तार द्वारा पूरा नहीं किया जा सका, जिसे 9 फरवरी 2020 को मंजूरी दी गई थी। स्वयं में समय सारणी, संविदा के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य की प्रकृति को देखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि याचिकाकर्ता को रिटेनिंग वॉल के निर्माण के काम को पूरा करने में अक्षम करने में जिन कारकों को जिम्मेदार ठहराया गया था, जो रक्षा संरचना के प्रयोजनों के लिए आवश्यक था, और किए गए कार्य का प्रतिशत, जो उत्तरदाताओं द्वारा अस्वीकार किया गया तथ्य है और जिसे याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है कि काम का केवल एक छोटा हिस्सा पूरा करने की आवश्यकता थी, बीच की अवधि के दौरान, जब उत्तरदाताओं द्वारा 17 नवंबर 2020 को बाद की अधिसूचना जारी की गई, शेष कार्य को पूरा करने के लिए नई निविदाएं आमंत्रित की गईं, जिसके लिए 2 मार्च 2017 को याचिकाकर्ता के पक्ष में कार्य आदेश जारी किया गया था।

22. तथ्य यह है कि 2 मार्च 2017 को कार्य आदेश के निष्पादन के बाद से, 17 नवंबर 2020 को नये निविदा नोटिस जारी होने तक, यह अपने आप में बताता है कि याचिकाकर्ता ने किस सावधानी के साथ सम्पन्न संविदा की शर्तों के अन्तर्गत अपना काम किया था। 14 जनवरी 2019 को समय प्रदान किए जाने के बावजूद, जैसा कि सीए 8, पृष्ठ 62 से जवाबी शपथपत्र में प्रदर्शित होता है, यदि कई विस्तार के बावजूद, काम पूरा नहीं हुआ, और विशेष रूप से, खंड 16 के प्रतिबंध के आलोक में, जहां निर्माण कार्य करने के लिए कोविड–19 प्रतिबंधों से कार्य अनुबंधों को छूट दी गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क जिसमें इस बात पर विचार करना शामिल है कि पूरे किए गए कार्य का क्षेत्र क्या था, जो याचिकाकर्ता द्वारा किया गया था, क्या यह संविदा के अन्तर्गत कार्य का केवल एक नगण्य हिस्सा था, जिसे अधूरा छोड़ दिया गया था, सभी तथ्यात्मक पहलू हैं, जिन पर विचार करने की आवश्यकता है।

23. इसलिए, उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संविदा की शर्तों के आलोक में, और उत्तरदाताओं के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर रखे गए अभिवचनों के आलोक में तथा जवाबी शपथपत्र में किए गए अभिवचनों के आधार पर यह तर्क दिया जा रहा है कि 2 मार्च 2017 को कार्य आदेश के निष्पादन के बाद संविदा कार्य निष्पादित किया गया था। चूंकि स्वयं इसमें एक मध्यस्थता खंड निहित है, कि जब भी 2 मार्च 2017 के कार्य आदेश के निष्पादन के परिणामस्वरूप निष्पादित अनुबंध के नियमों और शर्तों के नियमों और शर्तों को पूरा करने से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, इसे मध्यस्थ के समक्ष निर्णय के लिए भेजा जाना चाहिए।

24. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को याचिकाकर्ता द्वारा इस आधार पर अस्वीकार करने की कोशिश की गई है कि चूंकि कोई तथ्यात्मक सराहना नहीं थी, जिसे करने

की आवश्यकता थी, उस स्थिति में, विवाद के निवारण के लिए याचिकाकर्ता द्वारा सहमत मंच का ही सहारा लेने की आवश्यकता है, जहां इसे किए गए कार्य के मूल्यांकन की आवश्यकता थी, और जहां इसे समयावधि के विस्तार के प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता थी, जहां यह आकलन करने की आवश्यकता थी कि क्या समय संविदा के कार्य का सार था या नहीं, जहां अधूरे कार्य का आकलन करने की आवश्यकता थी, जिसे बाद की अधिसूचना जारी करके पूरा किया जाना था, जो डब्ल्यूपीएमएस संख्या 2175 वर्ष 2020 में चुनौती का आधार है, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कार्य की कुल मात्रा, जिसके लिए याचिकाकर्ता किए गए कार्य के लिए धनराशि के भुगतान का हकदार होगा।

25. इन सभी पहलुओं ने एक तथ्यात्मक विवाद का निर्धारण, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका को प्राथमिकता देकर लागू नहीं किया जा सकता है, और वह भी याचिकाकर्ता द्वारा पश्चातवर्ती स्तर पर भी नहीं उठाया जा सकता है, जब याचिकाकर्ता ने जिस परिश्रम के साथ काम किया था, उसके बारे में विवाद पैदा होता है, और विशेष रूप से, जब यह सहमत संविदात्मक दायित्वों के खंड 54 की शर्तों के अन्तर्गत संविदा की समाप्ति के लिए समाप्त हो गया हो, तो यह मध्यस्थ के समक्ष विचार के लिए रखा जायेगा।

26. उत्तरदाताओं के अधिवक्ता द्वारा लिये उक्त अभिवाक् को रद्द करने के लिए, कि सहमत मंच संविदा की शर्तों का हिस्सा बन रहा था, जहां याचिकाकर्ता शिकायतों का निवारण कर सकता था। याचिकाकर्ता ने 2011 (5) एससीसी 697 ''भारत संघ और अन्य बनाम तांत्या कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड'' में रिपोर्ट किए गए एक फैसले का संदर्भ दिया था और विशेष रूप से उन्होंने उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 31 का संदर्भ दिया है, जो निम्नलिखित है–

> "31. In our view, the Respondent Company has satisfactorily explained their position regarding their offer being confined only to the balance work of the original Tender and not to the extended work. The delay occasioned in starting the work was not on account of any fault or lapses on the part of the Respondent Company, but on account of the fact that the project design of the work to be undertaken could not be completed and ultimately involved change in the design itself. The Respondent Company appears to have agreed to complete the varied work of Tender No. 76 of 06-07 which variation had been occasioned on account of the change in the design as against the entire work covering both the first and second Tenders. To proceed on the basis that the Respondent Company was willing to undertake the entire work at the old rates was an error of judgment and the termination of the contract in relation to Tender No. 76 of 06-07 on the basis of said supposition was unjustified and was rightly set aside by the learned Single Judge of the High Court, which order was affirmed by the Division Bench."

27. यदि उसमें की गई टिप्पणियों पर विचार किया जाए, तो यह अपवाद में निर्णय था, न कि प्रत्येक व्यक्ति पर बाध्यकारी प्रभाव रखने वाले निर्णय (Judgement in Rem), इस कारण से कि उक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि, जहां रिट याचिका में उठाए गए निवेदनों की पृष्ठभूमि में, ठेकेदार संतुष्ट करने और उनके प्रस्ताव के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने में सक्षम रहा है, काम के संतुलन तक सीमित होने के कारण, और निविदा के तहत या विस्तारित अवधि के तहत किए गए काम, और ठेकेदार काम के पूरा होने के हिस्से पर चूक या चूक के कारणों को सफलतापूर्वक संतुष्ट करने में सक्षम रहा है, न्यायालय का मत है कि संविदा की समाप्ति के खिलाफ एक मंच या वैकल्पिक अनुतोष मध्यस्थ के सामने आकर एक उपयुक्त और प्रभावोत्पादक मंच नहीं हो सकता है। वास्तव में, यह मामला उन तथ्यात्मक पहलुओं के बहुत विरोधाभासी है, जिन पर विचार करने की आवश्यकता है, जैसा कि वर्तमान मामले में शामिल है।

28. वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर पहले ही देखा जा चुका है, यह विवादित नहीं हैः—

(1) यह कि संविदा स्वयं रिकॉर्ड पर नहीं है।

(2) कार्य 8 दिसंबर, 2017 तक पूरा किया जाना था।

(3) विस्तार पहले 4 जनवरी 2019 को दिया गया था, और काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था।

(4) अंतिम विस्तार 9 फरवरी 2020 को दिया गया था, और अभी भी काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था

(5) अंतिम विस्तार के बावजूद काम पूरा नहीं होने के कारण, इसके परिणामस्वरूप शेष काम को पूरा करने के लिए नए सिरे से निविदा का निमंत्रण दिया गया है, जिसे अन्यथा संविदा की शर्तों के तहत याचिकाकर्ता द्वारा पूरा किया जाना था, ऐसा नहीं किया है, और अंत में,

(6) विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता 59 प्रतिशत कार्य पूरा होने का दावा करता है, जो उत्तरदाताओं द्वारा विवादित तथ्य है।

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तांत्या कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निर्णय में निर्धारित सिद्धांत तत्काल मामले में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह उस विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सम्बन्धित था, जैसा कि उक्त निर्णय के शुरूआती पैराग्राफ जैसा कि पैराग्राफ संख्या 3, 4 व 5 में वर्णित है, बरेली रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए संविदा की शर्तों से संबंधित हैं।

30. एक अन्य फैसले में, जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा विश्वास किया गया है, जैसा कि **2003 (2) एससीसी पृष्ठ 107 "हरबंसलाल साहनीया और अन्य बनाम इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन और अन्य"** में रिपोर्ट किया गया है, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने उक्त निर्णय के

पैराग्राफ नंबर 7 का संदर्भ दिया है, जिसमें अवधारित किया गया है कि जैसा कि उक्त मामले में याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध मध्यस्थता खंड की उपलब्धता के संबंध में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण लिया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्हर्लपूल निर्णय के सिद्धांतों के आलोक में मध्यस्थता खंड के निहितार्थों पर विचार किया है, मैं उक्त निर्णय द्वारा निर्धारित अनुपात से ससम्मान असहमत हूं, ताकि इसे वर्तमान मामले की तथ्यात्मक परिस्थितियों में लागू किया जा सके, और उक्त सिद्धांत से असहमत होने का कारण यह है कि विवाद के निवारण के लिए एक सहमत उपाय और एक वैकल्पिक उपाय के बीच अंतर है। वैकल्पिक उपाय हमेशा कानून का निर्माण होता है, हालांकि एक सहमत उपाय पक्षकारों के मध्य तय की गई शर्तों के अन्तर्गत आम सहमति के परिणामस्वरूप होता है। उस स्थिति में, उक्त निर्णय के पैरा संख्या 7 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो अंतर किया गया था, वह इस आधार पर था कि जहां मध्यस्थता खंड को एक वैकल्पिक उपाय के रूप में माना जाता था, जो निम्नलिखित है–

> "7. So far as the view taken by the High Court that the remedy by way of recourse to arbitration clause was available to the appellants and therefore the writ petition filed by the appellants was liable to be dismissed, suffice it to observe that the rule of exclusion of writ jurisdiction by availability of an alternative remedy is a rule of discretion and not one of compulsion. In an appropriate case in spite of availability of the alternative remedy, the High Court may still exercise its writ jurisdiction in at least three contingencies: (i) where the writ petition seeks enforcement of any of the Fundamental Rights; (ii) where there is failure of principles of natural justice or, (iii) where the orders or proceedings are wholly without jurisdiction or the vires of an Act and is challenged [See Whirlpool Corporation v. Registrar of Trade Marks, Mumbai and Ors., MANU/SC/0664/1998 : AIR1999SC22 . The present case attracts applicability of first two contingencies. Moreover, as noted, the petitioners' dealership, which is their bread and butter came to be terminated for an irrelevant and non-existent cause. In such circumstances, we feel that the appellants should have been allowed relief by the High Court itself instead of driving them to the need of initiating arbitration proceedings."

31. मेरा मत है कि चूंकि मध्यस्थता खंड एक वैकल्पिक उपाय नहीं है, एक बार जब संविदा की शर्तों के तहत पक्षकारों के मध्य विवाद को हल करने के लिए सहमति हो जाती है, तो यह लागू नहीं होगा और वह भी विशेष रूप से ऊपर वर्णित किए गए कारणों के लिए, जब इसमें साक्ष्य की सराहना और विशेष रूप से कार्य की मात्रा का तथ्यात्मक पहलू शामिल है जो याचिकाकर्ता द्वारा संविदा के शर्तों के अनुसार तय किए गए कार्य की मात्रा के तथ्यात्मक पहलू को दर्शाता है।

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 4981 वर्ष 2021 में दिए गए एक हाल के निर्णय में, ''भारत संघ और अन्य बनाम मेसर्स पुना हिंदा'' में विशेष रूप से उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 17 का संदर्भ दिया गया है, जो निम्नलिखित है–

> "17. Mr. Nataraj, learned ASG appearing for the appellants, pointed out that there are serious disputes about the facts in respect of authenticity of the Joint Final Report and the work done. Therefore, such disputed question of facts could not have been adjudicated by the Writ Court as disputed question of facts relating to recovery of money could not have been entertained thereunder. Reliance has been placed upon the judgment of this Court reported as Kerala State Electricity Board & Anr. v. Kurien E. Kalathil & Ors. 2 2 (2000) 6 SCC 293 14 wherein it was held as under:
>
> > 10. We find that there is a merit in the first contention of Mr Raval. Learned counsel has rightly questioned the maintainability of the writ petition. The interpretation and implementation of a clause in a contract cannot be the subject-matter of a writ petition. Whether the contract envisages actual payment or not is a question of construction of contract. If a term of a contract is violated, ordinarily the remedy is not the writ petition under Article 226. We are also unable to agree with the observations of the High Court that the contractor was seeking enforcement of a statutory contract. A contract would not become statutory simply because it is for construction of a public utility and it has been awarded by a statutory body. We are also unable to agree with the observation of the High Court that since the obligations imposed by the contract on the contracting parties come within the purview of the Contract Act, that would not make the contract statutory. Clearly, the High Court fell into an error in coming to the conclusion that the contract in question was statutory in nature.
> >
> > 11. A statute may expressly or impliedly confer power on a statutory body to enter into contracts in order to enable it to discharge its functions. Dispute arising out of the terms of such contracts or alleged breaches have to be settled by the ordinary principles of law of contract. The fact that one of the parties to the agreement is a statutory or public body will not by itself affect the principles to be applied. The disputes about the meaning of a covenant in a contract or its enforceability have to be determined according to the usual principles of the Contract Act.15 Every act of a statutory body need not necessarily involve an exercise of statutory power. Statutory bodies, like private parties, have power to contract or deal with property. Such activities may not raise any issue of public law. In the present case, it has not been shown how the contract is statutory. The contract between the parties is in the realm of

> private law. It is not a statutory contract. The disputes relating to interpretation of the terms and conditions of such a contract could not have been agitated in a petition under Article 226 of the Constitution of India. That is a matter for adjudication by a civil court or in arbitration if provided for in the contract. Whether any amount is due and if so, how much and refusal of the appellant to pay it is justified or not, are not the matters which could have been agitated and decided in a writ petition. The contractor should have relegated to other remedies."

33. वास्तव में जो चुनौती दी गई थी, वह यह थी कि संविदा संबंधी मामलों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत रिट न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश क्या होगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 17 में अवधारित किया है कि, जहां विरोधी पक्षकारों द्वारा तथ्यों और किए गए कार्य की प्रामाणिकता, और किए गए कार्य की अंतिम रिपोर्ट, किए गए कार्य की मात्रा, और बिल की राशि की मात्रा, जिसे ठेकेदार प्राप्त करने का हकदार होगा, के संबंध में एक गंभीर विवाद उत्पन्न है। जब इन सभी तथ्यात्मक पहलुओं पर निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है, तो 2000 (6) एससीसी 293, ''केरल राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम कुरियन ई कलाथिल एंड अन्य'' में रिपोर्ट किए गए निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 10 और 11 का संदर्भ देते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जहां तथ्यात्मक विवेचना की जानी आवश्यक है, रिट का अनुतोष उचित अनुतोष नहीं हो सकता है, जो याचिकाकर्ता को सार्वजनिक कानून उपाय का लाभ उठाकर शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध होगा।

34. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4862–4863 वर्ष 2021 में दिए गए एक अन्य निर्णय में, ''यूफ्लेक्स लिमिटेड बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य'', माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि संविदा के मामलों में जहां संविदा करने वाले पक्षों की कार्यवाही और गतिविधियां संविदा की शर्तों, संविदा देने के मापदंडों की इसकी व्याख्या के दायरे, संविदा से निकलने वाले वाणिज्यिक दायित्वों द्वारा शासित होती हैं, यह समता (Equity) के कानून द्वारा शासित नहीं होगी, जिसका उपयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत अधिकार क्षेत्र को लागू करके किया जा सकता है, और अधिक से अधिक उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 2 और 3 में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, जो निम्नलिखित है–

> "2. The judicial review of such contractual matters has its own limitations. It is in this context of judicial review of administrative actions that this Court has opined that it is intended to prevent arbitrariness, irrationality, unreasonableness, bias and mala fide. The purpose is to check whether the choice of decision is made lawfully and not to check whether the choice of decision is sound. In

> evaluating tenders and awarding contracts, the parties are to be governed by principles of commercial prudence. To that extent, principles of equity and natural justice have to stay at a distance.
> 3. We cannot lose sight of the fact that a tenderer or contractor with a grievance can always seek damages in a civil court and thus, "attempts by unsuccessful tenderers with imaginary grievances, wounded pride and business rivalry, to make mountains out of molehills of some technical/procedural violation or some prejudice to self, and persuade courts to interfere by exercising power of judicial review, should be resisted."

35. जहां समता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ऐसे पहलू माना गया है जो संविदात्मक दायित्वों के लिए अनभिज्ञ हैं, रिट अनुतोष को लागू नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध एक उपयुक्त मंच नहीं माना गया, इसलिए याचिकाकर्ता को प्राप्त होने वाला उचित अनुतोष नुकसान के लिए सिविल क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए मुकदमा दायर करने के माध्यम से होगा, जो नियोक्ता की ओर से किसी निष्क्रियता या कार्यवाही के कारण संविदा के अन्तर्गत कर्मचारी को पहुंचा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत न्यायिक समीक्षा का रिट न्यायालयों द्वारा विरोध किया जाना चाहिए।

36. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **2019 खंड 14 एससीसी पेज 81 "केयरटेल इन्फोटेक लिमिटेड बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड"** ds फैसले के पैराग्राफ नंबर 6 में इसी तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं। उक्त निर्णय के पैरा संख्या 37 में संदर्भित किया गया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत रिट न्यायालय अनावश्यक रूप से वाणिज्यिक कार्यकलापों के क्षेत्र में निविदा और सार्वजनिक दक्षता या संविदा की शर्तों द्वारा बनाए गए उत्पादक संघ के दायित्वों पर इसके प्रभाव की जांच नहीं कर सकते हैं, जिनकी रिट न्यायालयों द्वारा उक्त निर्णय के पैरा संख्या 37, 38 और 39 में की गई टिप्पणियों के अनुसार जांच नहीं की जा सकती है, जो निम्नलिखित है–

> "37. We consider it appropriate to make certain observations in the context of the nature of dispute which is before us. Normally parties would be governed by their contracts and the tender terms, and really no writ would be maintainable Under Article 226 of the Constitution of India. In view of Government and Public Sector Enterprises venturing into economic activities, this Court found it appropriate to build in certain checks and balances of fairness in procedure. It is this approach which has given rise to scrutiny of tenders in writ proceedings Under Article 226 of the Constitution of India. It, however, appears that the window has been opened too wide as almost every small or big tender is now sought to be challenged in writ proceedings almost as a matter of routine. This in turn, affects the efficacy of commercial activities of the public sectors, which may be in competition with the private sector. This

could hardly have been the objective in mind. An unnecessary, close scrutiny of minute details, contrary to the view of the tendering authority, makes awarding of contracts by Government and Public Sectors a cumbersome exercise, with long drawn out litigation at the threshold. The private sector is competing often in the same field. Promptness and efficiency levels in private contracts, thus, often tend to make the tenders of the public sector a non- competitive exercise. This works to a great disadvantage to the Government and the Public Sector.

38. In Afcons Infrastructure Limited v. Nagpur Metro Rail Corporation Limited and Anr., this Court has expounded further on this aspect, while observing that18 the decision making process in accepting or rejecting the bid should not be interfered with. Interference is permissible only if the decision making process is arbitrary or irrational to an extent that no responsible authority, acting reasonably and in accordance with law, could have reached such a decision. It has been cautioned that Constitutional Courts are expected to exercise restraint in interfering with the administrative decision and ought not to substitute their view for that of the administrative authority. Mere disagreement with the decision making process would not suffice.

39. Another aspect emphasised is that the author of the document is the best person to understand and appreciate its requirements. In the facts of the present case, the view, on interpreting the tender documents, of Respondent No. 1 must prevail. Respondent No. 1 itself, appreciative of the wording of Clause 20 and the format, has taken a considered view. Respondent No. 3 cannot compel its own interpretation of the contract to be thrust on Respondent No. 1, or ask the Court to compel Respondent No. 1 to accept that interpretation. In fact, the Court went on to observe in the aforesaid judgment that it is possible that the author of the tender may give an interpretation that is not acceptable to the Constitutional Court, but that itself would not be a reason for interfering with the interpretation given. We reproduce the observations
in this behalf as under:

> 15. We may add that the owner or the employer of a project, having authored the tender documents, is the best person to understand and appreciate its requirements and interpret its documents. The constitutional courts must defer to this understanding and appreciation of the tender documents, unless there is mala fide or perversity in the understanding or appreciation or in the application of the terms of the tender conditions. It is possible that the owner or employer of a project may give an interpretation to the tender documents that is not acceptable to the

> constitutional courts but that by itself is not a reason for interfering with the interpretation given."

37. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में यह भी अवधारित किया है कि रिट न्यायालय को संविदात्मक दायित्वों की पूर्ति न किए जाने के कारण निविदा को अस्वीकार करने के प्राधिकारी की निर्णय लेने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना है, क्योंकि यह देखा गया है कि 2016 (खंड 16) एससीसी, 818 ''एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य'' के निर्णय में, विशेष रूप से, उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 38 और 39 का संदर्भ दिया गया है, जहां यह प्रावधानित किया गया है कि संविदा की शर्तों का लेखक, जिसमें स्पष्ट रूप से कर्मचारी शामिल होगा, जिसे काम की पेशकश की गई है, जो संविदा की शर्तों की आवश्यकता को समझने और सराहना करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति होगा, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत रिट क्षेत्राधिकार के दायरे के तहत जांच का विषय नहीं बनाया जा सकता है।

38. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ''**मैसर्स एनजी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम मैसर्स विनोद कुमार सैन''** सिविल अपील संख्या 1846 वर्ष 2022 के निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय लगभग समान परिस्थितियों का निपटारा करते समय, जहां कर्मचारी और नियोक्ता संविदा की शर्तों का गुणगान कर रहे थे और वहां यह अवधारित किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 को लागू करके संविदात्मक दायित्वों में उद्यम करना प्रक्रियात्मक अनौचित्य होगा, जिसके लिए रिट न्यायालय द्वारा संविदा प्रदान करने की जांच की आवश्यकता थी, जैसे कि वह संविदा की समाप्ति के लिए की गई कार्रवाई पर अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा हो, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत रिट न्यायालयों के प्रक्रियात्मक औचित्य के अंतर्गत नहीं हो सकता है।

39. वास्तव में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 21 मार्च 2022 को दिए गए उक्त निर्णय में अवधारित किया है कि रिट न्यायालयों को अपनी सीमाओं का एहसास होना चाहिए, कि संविदात्मक दायित्वों द्वारा शासित संविदात्मक मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप द्वारा, जिसे पक्षकारों के बीच निष्पादित किया जाता है। अदालत को अनावश्यक रूप से वाणिज्यिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिसमें तकनीकी मुद्दे की सराहना शामिल है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने वाले न्यायाधीशों को मामले में हस्तक्षेप करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त करनी चाहिए, जहां उनकी शिकायतों के निवारण के लिए मध्य मंच पर सहमति हुई है, प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य केवल मनमानी या तर्कहीनता को रोकने के आधार पर नहीं है, जैसा कि **2020 एसएससी ऑनलाइन एससी पेज 1035 गैलेक्सी ट्रांसपोर्ट एजेंसी** के निर्णय में संविदा के नियोक्ता से सम्बन्धित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है।

40. यह न्यायालय, इस स्तर पर, यह देखने में संकोच नहीं करेगा कि याचिकाकर्ता को ज्ञात कारणों से, जब संविदा की शर्तों का निपटान किया गया था और संविदा की शर्तों द्वारा शासित किया गया था। पूरी निष्पक्षता के साथ, याचिकाकर्ता द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि तय और संपन्न संविदा को रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए था, ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग करने वाले न्यायालय को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया जा सके कि क्या मामले की तथ्यात्मक परिस्थितियों में, रिट याचिका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत लागू किया जा सकता है, विशेष रूप से जब, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में, जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चित किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता संपन्न अनुबंध के खंड 70 से बाध्य था, जिसे पक्षकारों के मध्य निष्पादित किया गया था, जिसने एक मध्यस्थता खंड प्रदान किया था, जो निम्नलिखित है–

> "**70. Arbitration.** – All disputes, between the parties to the Contract (other than those for which the decision of the C.W.E. or any other person is by the Contract expressed to be final and binding) shall, after written notice by either party to the Contract to the other of them, be referred to the sole arbitration of an Engineer officer to be appointed by the authority mentioned in the tender documents.
>
> Unless both parties agree in writing such reference shall not take place until after the completion or alleged completion of the Work or termination of determination of the Contract underm Condition Nos. 55, 56 and 57 hereof.
>
> Provided that in the event of abandonment of the Works or cancellation of the Contract under Condition Nos. 52, 53 or 54 hereof, such reference shall not take place until alternative arrangements have been finalized by the Government to get the Works completed by or through any other Contractor or Contractors or Agency or Agencies.
>
> Provided always that commencement or continuance of any arbitration proceeding hereunder or otherwise shall not in any manner militate against the Government's right of recovery from the contractor as provided in Condition 67 hereof.
>
> If the Arbitrator so appointed resigns his appointment or vacates his office or is unable or unwilling to act due to any reason whatsoever, the authority appointing him may appoint a new Arbitrator to act in his place.
>
> The Arbitrator shall be deemed to have entered on the reference on the date he issues notice to both the parties, asking them to submit to him their statement of the case and pleadings in defence.
>
> The Arbitrator may proceed with the arbitration, exparte, if either party, inspite of a notice from the Arbitrator fails to take part in the proceedings.

The Arbitrator may, from time to time with the consent of the parties, enlarge, the time upto but not exceeding one year from the date of his entering on the reference, for making and publishing the award.

The Arbitrator shall give his award within a period of six mouths from the date of his entering on the reference or within the extended time as the case may be on all matters referred to him and shall indicate his findings, along with sums awarded, separately on each individual item of dispute.

The venue of Arbitration shall be such place or places as may be fixed by the Artitrator in his sole discretion.

The award of the Arbitrator shall be final and binding on both parties to the Contract."

41. उपर्युक्त कारणों से चूंकि, इस न्यायालय का मत है कि पहले से ही चर्चित कारणों के लिए, विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिन्हें साक्ष्य की विवेचना के आधार पर सराहना की जानी आवश्यक है, ताकि संविदा के अनुसार या विस्तारित अवधि के अनुसार प्रदान किए गए निर्धारित समय के भीतर कार्य करने के लिए याचिकाकर्ता की अक्षमता के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। यह स्पष्ट रूप से तथ्यात्मक पहलुओं का निर्धारण करेगा, जो केवल सहमत मंच के मध्यस्थ से संपर्क करके किया जा सकता है, और यदि ऐसा नहीं है, तो उस स्थिति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत तथ्यात्मक निविदा शर्तों की सराहना नहीं की जा सकती है।

42. याचिकाकर्ता को वैकल्पिक रूप से सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अनुतोष प्राप्त हो सकता है, ताकि कथित नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का मुकदमा दायर किया जा सके, यदि कोई हो, तो नियोक्ता की ओर से किसी भी कार्यवाही या निष्क्रियता के कारण कर्मचारी को हुआ था।

43. उपरोक्त वर्णित कारणों से, यह न्यायालय रिट याचिका में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, रिट याचिका में योग्यता का अभाव है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

(शरद कुमार शर्मा, ज0)
12.04.2022